न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 236/2016 **दायरा दिनांक : 06.06.2016**

उनवान

बाबूलाल आयु 65 साल पुत्र श्री जमनालाल, जाति किराड, निवासी भीलवाडा ऊचा, तहसील छबडा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– चन्द्रकला पत्नी श्री श्यामलाल, जाति मीणा, निवासी भीलवाडा ऊचा, तहसील छबडा, जिला बारां

2– श्यामलाल पुत्र श्री मन्ना लाल, जाति मीणा, निवासी भीलवाडा ऊचा, तहसील छबडा, जिला बारां

3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री मदनलाल गालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बृजराज सिंह व श्री साहिबलाल मीणा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 30.05.2018**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 27/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण ने अपीलांट के खिलाफ एक दावा पेश कर यह कथन किया ग्राम भीलवाडा ऊचा के खाता संख्या 45 में खसरा नम्बर 266 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है जो बंटवारा होकर मूल खसरा नम्बर 266 रकबा 1 बीघा वादिया चन्द्रकला के नाम खातेदारी में दर्ज है । मिन रकबा 266/1 रकबा 12 बिस्वा वादी श्यामलाल के नाम दर्ज है और मिन खसरा नम्बर 266/2 रकबा 1 बीघा प्रतिवादी बाबूलाल किराड़ के नाम दर्ज है । बंटवारा रेकार्ड जमाबंदी में किया गया परन्तु नक्शे में तरमीम नहीं हुई है । अतः दावा वादी स्वीकार कर मेन रोड़ से नक्शे में तरमीम करवायी जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.05.2016 को दावा वादी डिक्री किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि आराजी शामलाती खाते की नहीं है । खाते पृथक पृथक हो चुके हैं जिसके लिए विभाजन का दावा नहीं लाया जा सकता है । वाद चलने योग्य नहीं था फिर भी वादी का दावा डिक्री किया है । नक्शे में तरमीम का दावा चलने योग्य नहीं है । तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए । निर्णय विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

4 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

5 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व रेकार्ड में आराजी पृथक पृथक दर्ज हो चुकी है । धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा चलने योग्य नहीं है । तरमीम का कार्य तहसीलदार का है जिसके लिए उपजिला कलेक्टर के समक्ष दावा चलने योग्य नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

6 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि नक्शे में तरमीम नहीं की गई थी जबकि रेकार्ड में खाते पृथक किये जा चुके थे । अधीनस्थ न्यायालय ने तदनुसार नक्शे में तरमीम के आदेश दिये हैं । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

7 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अभिभाषक अपीलांट ने अपील में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि पक्षकारान के खाते की आराजी शामलाती में नहीं है वरन पृथक पृथक है । खाता अलग अलग है । ऐसी स्थिति में वादी का दावा चलने योग्य नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय ने इसको डिक्री कर त्रुटि की है । नक्शे में तरमीम का कार्य तहसीलदार के क्षेत्राधिकार का है ।

8 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जो राजस्व रेकार्ड सलंग्न है उसका अवलोकन किया गया उसके अनुसार वादिनी चन्द्रकला के तन्हा खाते में खसरा नम्बर 266 की आराजी दर्ज है । वादी श्यामलाल के खाते में खसरा नम्बर 266/1 की आराजी तन्हा रूप से दर्ज है और प्रतिवादी बाबूलाल के खाते में खसरा नम्बर 266/2 और 279 की आराजी तन्हा रूप से दर्ज है । इस प्रकार पक्षकारान के खाते पृथक

पृथक किये जा चुके हैं । मात्र नक्शे में तरमीम नहीं की गई है । नक्शे में तरमीम या तो उस दावे में जिसमें कि खाता विभाजन की डिक्री जारी की गई है उसमें प्रार्थना पत्र लगा कर करवायी जा सकती है अथवा तहसीलदार के समक्ष तरमीम हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर करवायी जा सकती है । नक्शे में तरमीम हेतु उपखण्ड अधिकारी के समक्ष दावा पेश नहीं किया जा सकता है । तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है एवं खारिज होने योग्य है ।

9 अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.05.2016 का अवलोकन किया गया । इसके अनुसार वादी और प्रतिवादी उपस्थित हुए हैं और उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि आराजी पृथक पृथक राजस्व रेकार्ड में दर्ज है परन्तु नक्शे में तरमीम नहीं होने के कारण विवाद रहता है इसलिए तरमीम के आदेश किये जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने जो डिक्री जारी की है, दिनांक 23.05.2016 की उसमें यह अंकित किया है कि अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी मेन रोड़ से नक्शे तरमीम करने हेतु तहसीलदार को आदेशित किया जाता है जबकि वादग्रस्त आराजी का विभाजन पूर्व में ही हो चुका है । वादीगण और प्रतिवादीगण के खाते की आराजी पृथक पृथक उनके खाते में दर्ज है । ऐसी स्थिति में पुनः अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी अंकित करते हुए डिक्री जारी नहीं की जा सकती है । यदि नक्शे में तरमीम नहीं हुई है तो पूर्व में जिस स्तर पर विभाजन के आदेश हुए हैं उसी स्तर से तरमीम के लिए आदेश जारी किया जा सकता है अथवा पक्षकारान तहसीलदार के सक्षम भी तरमीम हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं । आराजी का एक बार विभाजन हो चुका है ऐसी स्थिति में पुनः उस आराजी के लिए उपखण्ड अधिकारी के स्तर से डिक्री जारी नहीं की जा सकती है ।

10 तद्नुसार पैरा संख्या 8 व 9 में किये गये विवेचन के अनुसार पक्षकारान पूर्व में पारित विभाजन की डिक्री अथवा आदेश की अनुपालना में तरमीम करवा सकते हैं अथवा तहसीलदार के समक्ष तरमीम हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं । तद्नुसार तरमीम हेतु नया दावा उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में मेंटेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस दावे में जो निर्णय पारित किया है वह विधि अनुकूल नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है ।

11 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2016 अपास्त किया जाता है ।

12 निर्णय आज दिनांक 30.05.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा